न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़ हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।

18/12/25

पत्रावली पेश। वास्ते तलबी रिपोर्ट दिनांक 14/01/25 को पेश हो।

SDO

14/1/25 ... अभिभाषक मण्डल ने कार्य स्थगित किया है। दिनांक 24/3/25 को पेश हो

S.D.O.

24/09/25

पत्रावली इकजाई तारीख से पेश। वकील वादी उप०। वास्ते तलबी रिपोर्ट दिनांक 29/10/25 को पेश हो।

SDO

29/10/25

पीठासीन अधिकारी अन्य कार्यों में व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 5/12/25 को पेश हो।

रीडर

5/12/25

पीठासीन अधिकारी अन्य कार्यों में व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 27/1/26 को पेश हो।

रीडर

27/01/26

पत्रावली पेश। वकील वादी उप०। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली लम्बे समय से तलबी के अन्तर्गत विचाराधीन है अतः पत्रावली 91 R5 के खारिज की जाती है। पत्रावली नकल से फ्री हो कर बाद पूर्ति जमा रिकॉर्ड रूम हो।

SDO

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।

कल्याण सहाय बनाम रामसिंह मीणा

प्रार्थना पत्र संख्या– 02/246/2024

07.11.2024

आज यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट का प्रार्थी द्वारा जरिये वकील प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आराजी खसरा नम्बर 305/0.01, 306/0.01,307/0.40, 309/0.05, 310/0.03, किता 5 कुल रकबा 0.50 वाके ग्राम कारोठ तहसील राजगढ़ जिला अलवर में स्थित है। उक्त विवादित आराजीयात में प्रतिवादी, वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की रूकावट पैदा नही करे और ना ही वादी को उसकी आराजी से जबरन बेदखल करे तथा प्रतिवादीगण वादी की आराजी पर किसी प्रकार से कब्जा नही करे और ना ही आराजी के किसी विशिष्ट भू–भाग पर कब्जा कर दीगर लोगो को कब्जा नही कराते हुये और किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करे तथा कब्जा कर आराजी को रहन, बैय हिबा इत्यादि वो अन्य किसी प्रकार से मुंतकिल नही करे। इस आशय की डिक्री वादी विरूद्ध प्रतिवादी पारित की जावे। अन्त में उक्त विवादित आराजी पर मौके व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। साथ में शपथ पत्र पेश है।

प्रार्थना पत्र के संबंध में वकील प्राथी ने कथन किया कि विवादित आराजी जमाबंदी सम्बवत 2069–75 में दर्ज खाता संख्या 65 के अनुसार मिन वादी सम्पूर्ण हिस्से का काबिज रहकर बदस्तूर काश्त करता चला आ रहा है। विवादित आराजी वादी कि कब्जे काश्त की खातेदारी भूमि है जिसका प्रतिवादी से किसी प्रकार से कोई सरोकार नही है। लेकिन प्रतिवादी कब्जा करने की नियत से वादी की आराजीयात को नुकसान पहुचाना चाहता है। अतः अप्रार्थीगण को विवादित आराजी के मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया एवं बहस वकुलाय पर मनन किया। अतः प्रथम दृष्टया प्रार्थना पत्र में उभय पक्षकारान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः आगामी आदेशों तक उभयपक्षकारान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि आराजी खसरा नम्बर 305/0.01, 306/0.01, 307/0.40, 309/0.05, 310/0.03, किता 5 कुल रकबा 0.50 वाके ग्राम कारोठ तहसील राजगढ़ जिला अलवर में मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। लेकिन किसी भी न्यायालय के द्वारा दिये गये निर्णय की पालना पर प्रभावी नही रहेगा। अप्रार्थीगण जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब होकर पेश हो। एवं प्रार्थीगण रजिस्ट्रर्ड रसीद 3 दिवस में हाजा न्यायालय में पेश करे। इस संबध में कोई आक्षेप हो तो दिनांक 18.12.2024 को उपस्थित न्यायालय होकर पेश करें।

(सुश्री सीमा खेतान आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ़
जिला अलवर

तारीख हुक्म	# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़ हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	18/12/24 पत्रावली पेश। वास्ते तलबी रिपोर्ट दिनांक 14.01.25 को पेश हो। SDO 14/1/25 अभिभाषक मण्डल ने कार्य स्थगित किया है। दिनांक 24/3/25 को पेश हो। SDO 24/09/25 पत्रावली कुआई तारीख से पेश। वास्ते तलबी रिपोर्ट दिनांक 29/10/25 को पेश हो। SDO 29/10/25 पीठासीन अधिकारी अन्य कार्यो में व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 15/12/25 को पेश हो। रीडर 15/12/25 पीठासीन अधिकारी अन्य कार्यो में व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 27/1/26 को पेश हो। रीडर 27/01/26 पत्रावली पेश। मूल चन्द 09R5 के खाते रिज किया जा चुका है अतः प्रकरण धारा 212 RTD Act की कार्यवाही बंद की जाती है। पत्रावली मजमून से काम की जाती है बाद पूर्ति मूल चन्द के खाते में जमा की जावे। SDO